

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2936

बुधवार, 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-कॉमर्स

2936. डॉ. डी. रविकुमार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने भारत में ई-कॉमर्स के संवर्धन और विनियमन के संबंध में राज्य सभा के 172वें प्रतिवेदन में अभिनिर्धारित प्रतिस्पर्धा जैसे प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए कोई अध्ययन कराया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के लिए मौजूदा ई-कॉमर्स कानूनों की प्रयोज्यता की सीमा को स्पष्ट करने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) वर्तमान में किन शहरों में ओएनडीसी कार्य कर रहा है, और
- (च) क्या नेटवर्क सहभागियों के बीच व्यक्तिगत डाटा को संरक्षित और सुरक्षित रूप से संग्रहीत, एकत्र, प्राप्त, आदान-प्रदान और संभाला जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): इस विभाग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। प्रतिस्पर्धा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 26.07.2023 को लोक सभा में और दिनांक 28.07.2023 को राज्य सभा में रखी गई गई।

(ग) और (घ): ई-कॉमर्स से संबंधित भारत के सभी मौजूदा कानून और विनियम, ओएनडीसी और ओएनडीसी नेटवर्क पर मौजूद भागीदारों पर लागू हैं।

(ङ): ओएनडीसी वर्तमान में देशभर के 500 से अधिक शहरों और कस्बों में संचालन में है।

ओएनडीसी की भौगोलिक कवरेज, उसके नेटवर्क भागीदारों की क्षमता और नेटवर्क भागीदारों द्वारा शामिल किए गए व्यापारियों के स्वतंत्र व्यवसायिक निर्णयों, दोनों पर निर्धारित की जाती है।

(च): ओएनडीसी कोई व्यक्तिगत डाटा एकत्र नहीं करता है। ओएनडीसी एक प्रोटोकॉल है, जो नेटवर्क भागीदारों को स्वतंत्र रूप से और कुशलतापूर्वक वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ओएनडीसी की नेटवर्क डाटा गवर्नेंस डाटा नीति के अनुसार, नेटवर्क भागीदार गोपनीयता और डाटा को नियंत्रित करने वाले सभी लागू कानूनों का पालन करते हैं।

\*\*\*\*\*